मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 24.05.2025

थाना मड़िहान व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा ₹ 25 हजार के ईनामिया अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद—

‘सोमेन बर्मा’ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा गो-तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सहित इनामियां अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी आपरेशन के नेतृत्व में थाना मड़िहान पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांक 23.05.2025 को थाना मड़िहान पर पंजीकृत मु0अ0सं0-229/2024 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगस्टर एक्ट. से सम्बन्धित ₹ 25 हजार के ईनामियां वांछित अभियुक्त बांके उर्फ बंगा चौधरी उर्फ शिव गोबिन्द चौधरी पुत्र स्व0 बांसदेव चौधरी निवासी लेवड़ा थाना नोखा जनपद रोहतास, बिहार को थाना मड़िहान क्षेत्रांतर्गत अटारी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मड़िहान पर मु0अ0सं0- 163/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

बांके उर्फ बंगा चौधरी उर्फ शिव गोबिन्द चौधरी पुत्र स्व0 बांसदेव चौधरी निवासी लेवड़ा थाना नोखा जनपद रोहतास, बिहार।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-229/2024 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगस्टर एक्ट. थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।

मु0अ0सं0- 163/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-05/2024 धारा 395,397,427,412 भादवि थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उप निरीक्षक राजेश सिंह मय पुलिस टीम थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।

निरीक्षक राजीव सिंह प्रभारी एसओजी मय पुलिस टीम।

उप निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलांस मय पुलिस टीम।